

महालेखाकार (लेखापरीक्षा I) का कार्यालय, केरल, तिरुवनंतपुरम

(प्रशिक्षण केन्द्र)

OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL (AUDIT I)  
KERALA, THIRUVANANTHAPURAM  
(TRAINING CENTRE)

सं.ले.प/प्रशिक्षण/11-3/2025-26/

No.Au/Trg/11-3/2025-26/

दिनांक: 13 मार्च 2026

Date: 13 March 2026

अनुभागीय आदेश सं. 427 / SECTIONAL ORDER NO. 427

महालेखाकार कार्यालय (लेखा परीक्षा प्रथम) से संबंधित निम्नलिखित अधिकारियों को क्षेत्रीय क्षमता निर्माण एवं ज्ञान संस्थान, चेन्नई में आयोजित होने वाले मध्य-करियर प्रशिक्षण स्तर द्वितीय और तृतीय कार्यक्रमों के लिए मनोनीत किया गया है।

The following officials belonging to the Office of the AG (Audit I) are nominated for Mid-career training Level II and III programmes to be conducted at Regional Capacity Building & Knowledge Institute, Chennai through onsite mode.

Sl.No	Name & Designation (Shri/Smt)	EMP ID	Section	Training Programme	Period of training
1	Pillai Sujith Shivashankara, AAO	3101226	C Cell	MCTP Level II	16.03.2026 to 20.03.2026
2	Anilkrishna G, AAO	3101251	AMG III		
3	Krishna Kumar V, AAO	3101250	AMG II		
4	Lekshmi C, Sr.AO	3101096	AMG II	MCTP Level III	
5	Jeethendranath TS, AAO	3101120	AMG III		
6	Jithu P, Sr.AO(C)	5012233	F&CA		

प्रतिभागी अपने आधिकारिक ईमेल आईडी का उपयोग करके साई प्रशिक्षण पोर्टल के माध्यम से पंजीकरण और प्रतिक्रिया प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं। अधिकारी को साई प्रशिक्षण पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन प्रभाव मूल्यांकन को पूरा करने के लिए भी सूचित किया जाता है, जिसे प्रशिक्षण के अंतिम दिन से 3 महीने पूरा होने की तारीख से 20 दिनों के भीतर प्रस्तुत किया जाना है।

The participants may complete the registration and feedback process through SAI Training Portal using their Official email IDs. The officials are also informed to complete the online impact assessment through SAI Training Portal which is to be submitted within 20 days from the date of completion of 3 months of the last day of Training.

(महालेखाकार के दिनांक 13 मार्च 2026 के आदेशानुसार)

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी / प्रशिक्षण  
Senior Audit Officer/Training

**प्रतिलिपि/Copy to:**

1.	अनुभागीय आदेश बुक/सूचना पट्ट	4.	व.ले.प.अ /प्रशा./रोकड, हक (ले.प- I)/(ले.प- II)
2.	संबंधित अधिकारी	5.	प्र.म.ले. (ले.प.-I)/(ले.प.-II) के सचिव/निजी सचिव
3.	संबंधित समूह अधिकारी	6.	सी सेल/आईटी समर्थन कक्ष/हिन्दी कक्ष/सामान्य कक्ष/पी ए ओ/ आई ए